Government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level 11 in the pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised university; and (ii) Associate Membership of the Institution of Fire Engineers, London or Divisional Officers' course from National Fire Service College, Nagpur; and (iii) ten years' experience in the rank not below the rank of a divisional or regional Fire Service Officer in an established Fire Service organisation in the Central Government or State Government or Union territories or Municipal Corporations. **Note1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation [including short-term contract (ISTC)] including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. I-12012/4/2015-Ad(CD)]

GOUTAM GHOSH, Director

अधिप्रमाणित

किरेन रीजीजू
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2017

सा.का.नि.287.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1963 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
प्रशासनिक अधिकारी	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रु.) में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर के ऐसे सहायकों में से जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की है और जिन्होंने मंत्रालय द्वारा यथाअवधारित किसी सरकारी संस्थान या संगठन से प्रशासन, स्थापन और लेखा के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है, अर्थात्. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में लेखा/प्रशासन और स्थापन कार्यों में दो वर्ष का अनुभव।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्लिखित से मिलकर बनेगी :-** 1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड - अध्यक्ष 2. अग्निशमन सलाहकार/उप महानिदेशक (होमगार्ड) - सदस्य 3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. I-12013/2/2016-प्रशा. (सीडी)]

गौतम घोष, निदेशक (डी एम – III)

AUTHENTICATED BY
KIREN RIJIJU
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

New Delhi, the 14th September, 2017

G.S.R. 287.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur (Administrative Officer), Recruitment Rules, 1963 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the National Fire Service College, Nagpur under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Administrative Officer, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**. - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	1* (2017) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group B, Gazetted, Ministerial	Level 7 (Rs.44900-142400/-)	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: From amongst Assistants of the National Fire Service College, Nagpur in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years' service rendered after appointment thereto on regular basis and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the field of administration, establishment and accounts from any Government Institute or organisation, as determined by the Ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including Short-term Contract): Officers under the Central Government or the State Government or Union Territories or	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of:** 1. Director General, Fire Service, Civil --Defence and Home Guards — Chairperson 2. Fire Adviser/ Deputy Director -General (Home Guards), O/o. Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guards — Member 3. Director, National Fire Service - College, Nagpur — Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level 6 in the pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) degree of a recognised University or Institute, and (ii) two years' experience in accounts, administration and establishment work in a Central Government or State Government or Union territories or recognised Research Institutions or Universities or Educational Institution or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation [including short term contract (ISTC)] including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. I-12013/2/2016-Ad(CD)]

GAUTAM GHOSH, Director (DM-III)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2017

सा.का.नि.288.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-